

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2195 / 2021

दिनांक : 05.10.2021

श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

01. दिनांक 21.09.2021 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश ।

02. दिनांक 22.09.2021 से 24.09.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 25.09.2021 से 26.09.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/11/1998/ 6201

दिनांक : 05.10.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 862/863 दिनांक 27.09.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर-II
4. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-01, जयपुर महानगर-II

सहायक रजिस्ट्रार